# कार्यालयः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय–आदेश::

शासकीय के आदेश क्रमांक : पं.04(15) शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांक : 21.05.2020 द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भी जिला स्तर की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण हेतु पूर्व से संचालित विद्यालयों को ब्लॉक स्तरीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया गया। यह राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजना है।

यद्यपि पूर्व में संचालित विद्यालयों को ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया गया था, परन्तु अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण के कारण पूर्व में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की पहचान करनी आवश्यक थी, जो अंग्रेजी माध्यम हेतु अनुरूप हो। इसी क्रम में विभिन्न पदों हेतु इच्छुक शिक्षकों से संवाद कर उनकी पहचान की जाकर चयन किया गया। इसी के तहत श्री अमृत राज सैनी प्रधानाचार्य राउमावि दादिया (अजमेर) जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालय के लिये आवेदन किया था। यह राज्य सेवा के अधिकारी है। अतः इनका पदस्थापन राज्य में समकक्ष पद पर किया जा सकता है। अजमेर जिले में ही इन्हें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सरवाड़ (अजमेर) के लिये चयन कर आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/अ.माध्यम/पदस्थापन/2020–21/2020 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा पदस्थापित किया गया।

श्री अमृत राज सैनी प्रधानाचार्य द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि उन्हें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सरवाड़ (अजमेर) में चयन से मुक्त किया जावे, क्योंकि उनके द्वारा केवल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) किशनगढ (अजमेर) के लिये आवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका संख्या 8361/2020 में आदेश दिनांकः 08.09.2020 से याचिकार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तथा विभाग को इनका अभ्यावेदन 30 दिवस में निस्तारित करने के आदेश दियें।

याचिकार्थी का अभ्यावेदन दिनांकः 29.09.2020 में उन्हें उक्त पदस्थापन/चयन से मुक्त कर पुनः पूर्व स्थान पर पदस्थापन का निवेदन किया है। याचिकार्थी के अभ्यावेदन को पूर्व मनोयोग से जाँचा, परखा एवं विश्लेषित किया गया। याचिकार्थी का निवास किशनगढ़ है तथा उनके द्वारा केवल उसी स्थान पर पदस्थापन चाहना राज्य सेवा अधिकारी के रूप में उपयुक्त नहीं है।

वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हेतु स्वयं आवेदन देकर प्रस्तुत हुए। राज्य सेवा के अधिकारी के रूप में उनका पदस्थापन राज्य में बेहतर उपयोग हेतु किया जाना राज्य के विवेकाधीन है। फिर भी उन्हें उनके जिले में पदस्थापित किया गया है, जो कि कतई नियमविरूद्ध नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी द्वारा याचिका 8361/2020 के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2020 के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

**समस्त सम्बन्धितों को उपर्युक्तानुसार सूचित हो।**

**(सौरभ स्वामी)**
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/अजमेर संभाग/66168/2020–21/32 दिनांक 09.10.20

**प्रतिलिपि** : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर।
2. शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी –विधि, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
6. सहायक निदेशक–विधि, कार्यालय हाजा।
7. याचिकाकर्त्ता अमृत राज सैनी जिला शिक्षा अधिकारी विधि–माध्यमिक जोधपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टॉफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर